भारत में लोकतन्त्र

डॉ0 सूर्यभान सिंह*

सारांश

गुलामी की भयावह त्रासदी से गुजरते हुए, जब भारत को आजादी मिली तो संविधान निर्माताओं ने भारत में संसदीय लोकतांत्रिक संघात्मक शासन प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया। आजादी से अब तक 75 वर्ष बीत चुके हैं। लोकतंत्र जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा है कि''यह जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, शासन है''। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि यह अध्ययन किया जाए कि क्या भारत में अपनाया गया लोकतंत्र अपनी कसौटियों पर खरा उतरा पाया है कि नहीं।

परम्परागत भारतीय समाज बहुत से विभाजनों और सीमाओं का शिकार रहा है जैसे जाति, धर्म, भाषा, लिंग तथा क्षेत्र आदि। इनकी उपस्थिति में लोकतंत्र को अपनाने का तात्पर्य यह है कि इनका निराकरण कर सभी को समान रूप से संरचनात्मक स्तर पर अर्थात शासन के संगठन की प्रक्रिया में और शासन में भेदभाव रहित भागीदारी सुनिश्चित की जाये। साथ ही प्रकार्यात्मक स्तर (अर्थात न्यायसंगत वितरण, स्वतन्त्रता के संवैधानिक अधिकार के प्रावधान के साथ, स्वतन्त्रता के उपभोग की आवश्यक दशाएं (जीवन में गुणात्मक परिवर्तन) भी उपलब्ध हों) भी कहां तक आगे बढ़ सका है, इन्ही विषयों का अध्ययन इस शोधपत्र में किया गया है ।

शब्द संकेत : लोकतन्त्र, दलितिकरण, संरचनात्मक लोकतन्त्र, प्रकार्यात्मक लोकतन्त्र, बहुमत, प्रतियोगी राजनीतिक दल, नियतकालिक चुनाव।

प्रस्तावना

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भारतीय समाज को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली व्यवस्था का नाम लिया जाये तो निर्विवाद रूप से उसे लोकतन्त्र ही कहा जायेगा। क्योंकि इसको अपनाने से न केवल भारतीय शासन की संरचना और उसकी प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देता है वरन् समाज में भी परिवर्तन के नये प्रतिमान दिखाई देते हैं। इस सबके फलस्वरूप न केवल भारतीय राजनीति वरन् समाज की दिशा और दशा में गुणात्मक और आमूल–चूल परिवर्तन दिखाई देता है। इसीलिए इसके अध्ययन का महत्व स्पष्ट होता है। इसके सन्दर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात कही जा सकती है, वह यह कि चूँकि समाज गतिशील होता है। इसलिए समाज में प्रचलित शासन के स्वरूप और परिचालन में भी समय के सापेक्ष परिवर्तन की प्रवृति दिखाई देती है।

इसलिए इसमें हम लोकतन्त्र के अर्थ को समझते हुए भारत में इसकी आवश्यकता और महत्व का अध्ययन करेंगे, जिससे भविष्य में इसकी संभावनाओं को तलाशना आसान होगा।

लोकतन्त्र का अर्थः लोकतन्त्र शब्द की लोकप्रियता और शासन के एक रूप में इसकी लोकप्रियता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि गैरलोकतान्त्रिक और तानाशाही प्रकृति के राज्य भी अपने को लोकतान्त्रिक कहते हुए दिखाई देते हैं।

लोकतन्त्र अंग्रेजी के शब्द 'डेमेक्रेसी' (Democracy) का हिन्दी अनुवाद है। जो दो ग्रीक शब्दों क्रमशः 'डेमोस' (Demos) तथा 'क्रेसी' (Cracy) से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ जनता है जबकि क्रेसी का अर्थ सत्ता है। अर्थात लोकतन्त्र वह शासन प्रणाली है, जिसमें सत्ता अन्तिम रूप से जनता के हाथ में होती है। जनता के द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से शासन का संचालन संभव नही है। इसलिए यह दायित्व जनता अपने प्रतिनिधियों को देती है। ये प्रतिनिधि ही जनता के नाम पर शासन का संचालन करते है। यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि कौन प्रतिनिधि ऐसे दायित्व का निर्वहन करेंगे। इसके निर्णय की प्रक्रिया में कई राजनीतिक प्रक्रियाएं शामिल हो जाती हैं, जैसे प्रतिनिधि का निर्वाचन, प्रतिनिधि के निष्पक्ष निर्वाचन के लिए भारतीय संविधान के द्वारा स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग का गठन संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत है। जिससे वे अपने दायित्वों का निर्वहन स्वतन्त्रतापूर्वक और सफलतापूर्वक कर सकें।

अब सवाल उठता है कि स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन के गठन[1] मात्र से लोकतन्त्र की स्थापना हो जायेगी, उत्तर है नहीं। क्योंकि यदि स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग की उपस्थिति में कुछ जाति, धर्म–वर्ग के लोगों को ही मताधिकार प्रदान किया जाए तो वह लोकतन्त्र होगा क्या? उत्तर पुनः नहीं है क्योंकि लोकतन्त्र में लोक शब्द निर्णयक महत्व का है। क्योकि जब एक शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र की बात की जाती है तब ऐसी स्थिति में लोकतंत्र शब्द में लोक का तात्पर्य है उस संबंधित

* एसो. प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

देश की सम्पूर्ण जनता। इसलिए वहीं लोकतन्त्र होगा जहां पर सभी को मताधिकार प्राप्त हो। इसीलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया। इसके महत्व को देखते हुए बाद में निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का विस्तार करने के लिए भारतीय संविधान के 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया।

यहाँ एक प्रश्न यह उठता है की यदि सभी को वयस्क मताधिकार की व्यवस्था बिना भेदभाव के प्रदान कर दिया जाए और विकल्पों की उपलब्धता न हो तो क्या लोकतंत्र होगा? इस लिए आवश्यकता इस बात की है की वयस्क मताधिकार के साथ विकल्पों की बहुलता भी होनी चाहिए। अब सवाल पुनः है कि यह विकल्पों की बहुलता किस प्रकार से सुनिश्चित की जा सकती है? क्योंकि चीन जैसे देश में मताधिकार तो है लेकिन विकल्पों की उपलब्धता नहीं होने कारण लोकतंत्र कहना उपयुक्त नहीं है। इसलिए लोकतंत्र में जनता के सामने विकल्पों की बहुलता होनी चाहिए अर्थात जनता अपनी पसंद की सरकार बनाने में पूरी स्वतंत्रता का उपयोग कर सके। ऐसा तभी होगा जब एक से अधिक राजनीतिक दल होंगे(वर्तमान समय में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं[2] । जो इस प्रकार हैं 1.आम आदमी पार्टी ,2.बहुजन समाज पार्टी, 3.भारतीय जनता पार्टी, 4.कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सिस्ट), 5.इंडियन नेशनल कांग्रेस, 6.नेशनल पीपुल्स पार्टी) वर्तमान समय में राज्य स्तरीय 26 राजनीतिक दल हैं[3]।

क्योंकि लोकतंत्र खासतौर से प्रतिनिधिक लोकतंत्र में शासन प्रणाली के संचालन का निर्णय जनता अपने मत के द्वारा देती है। यह मत किसे देगी वह विभिन्न राजनीतिक दलों के घोषणापत्र और संकल्प पत्र को देखकर निर्णय लेती है। साथ ही जो राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए बहुमत प्राप्त करते हैं वह भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि किये गए वादे और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप ही सरकार का संचालन किया जाये अन्यथा की स्थिति में जनता अपने निर्णय को बदलकर शासन को संचालित करने की जिम्मेदारी किसी और राजनीतिक दल को दे सकती है।

इस लिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के साथ विकल्पों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है जहां एक तरफ बिना भेदभाव के सार्वजनिक वयस्क मताधिकार सभी 18 वर्ष (61 वे संवैधानिक संशोधन के द्वारा 18 वर्ष किया गया[4]। इसके पूर्व यह उम्र 21वर्ष थी[5]) के उम्र के भारतीय नागरिकों को जो की मतदाता सूची में पंजीकृत है उनको मत देने का अधिकार है। यह अधिकार इस बात को सुनिश्चित करता है कि शासन के गठन और संचालन का जिम्मा अगले पांच वर्ष के लिए किसे दिया जाएगा। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह निर्णय बहुमत से होता जिससे कई बार यह भ्रम भी हो जाता है कि लोकतंत्र बहुमत का शासन है। परन्तु यदि ऐसा हुआ तो वह तो लोकतंत्र में लोक शब्द के निहितार्थ को ही समाप्त कर देगा क्योंकि लोकतंत्र में लोक शब्द देश के सभी लोगों को शामिल करने वाला है। स्पष्ट है सरकार के गठन का तरीका है बहुमत न कि शासन के संचालन का सिद्धांत है। सरकार तो गठित हो जाने पर वह सबकी है क्योंकि लोकतंत्र है। जहां तंत्र के गठन में अर्थात शासन के गठन में सम्पूर्ण जनता अपनी भागीदारी करती है और सभी इस बात पर सहमत हैं कि जिसे बहुमत प्राप्त होगा वही शासन के संचालन की जिम्मेदारी संभालेगा। लेकिन वह शासन सभी के लिए संचालित होगा इस बात पर भी सभी सहमत होते हैं। इस लिए सरकार अपने नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों में बहुमत के हित के स्थान पर सर्वहित को प्रधानता दी जाती है (इसी का अनुसरण करते हुए भारत में 2014 के बाद 50 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते[6] खोले गए ताकि सभी देशवासी समावेशी आर्थिकी का हिस्सा हो सके और उसकी सुविधाओं से लाभान्वित हों सके जिसका उपयोग लाभों के वितरण में बड़े ही सफलतापूर्वक किया गया है। विशेष रूप से कोविड 19 महामारी के समय नाना प्रकार से आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी तक पहुँच रही थी। किसान सम्मान निधि को सीधे उनके खाते में भेजा जाना आसान हुआ है। यही नहीं सर्वहित को ध्यान में रखते हुए ही उज्ज्वला योजना प्रारम्भ की गई। जिसमें उन सभी को जिनके पास आजादी के बाद से अभी तक कोई गैस कनेक्सन नहीं था उनको बिना किसी राशि को दिए ही गैस सिलेंडर का कनेक्सन और चूल्हा प्रदान कर महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने में बड़ा काम किया गया, जिससे उनके जीवन में सुरक्षा का एहसास हुआ क्यों कि उसके पूर्व लकड़ी संचय के दौरान असुरक्षा की परिस्थितियाँ और कई बार दुर्व्यवहार का शिकार भी होना पड़ता रहा है उससे छुटकारा मिला। फलस्वरूप संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित किये जाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। देश में एक बड़ी समस्या स्वास्थ्य की रही जिसमें 50 करोड़ से अधिक जनसंख्या अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए झोला छाप डॉक्टर पर आश्रित रहती थी कभी कभी तो वह भी सामर्थ्य नहीं होती जो अपने आप में लोकतंत्र पर प्रश्नचिन्ह है। क्योंकि सरकार को बनाने वाले अपनी बुनियादी स्वास्थ्य की सुविधाओं में सक्षम नहीं थे। इसके निराकरण के लिये भारत सरकार ने लोकतंत्र में लोकहित के अनुरूप सरकार को चलाने के सिद्धान्त को व्यवहार में लाते हुए 52 करोड़ से अधिक देशवासियों को आयुष्मान स्वास्थ्य योजना[7] से आच्छादित जिसमें वे 5 लाख रूपये तक स्वास्थ्य सुविधाओं को निःशुल्क पाने के हकदार बने)

अब एक सवाल यह है की सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था के साथ विकल्पों की व्यवस्था अर्थात प्रतियोगी राजनीतिक दलों की उपस्थित से लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी। यदि ये दोनों हो और एक बार जो चुन लिया जाए और सदा सर्वदा के लिए बने रहने की व्यवस्था हो तो वह तो तानाशाही शासन ही हो जाएगा क्योंकि एक बार सत्ता में आने के बाद उसे हटाने या बदलने की व्यवस्था न होने पर वह गठित सरकार निरंकुश होगी। यह तो लोकतंत्र के अनुरूप नहीं होगा क्योंकि लोकतंत्र का तात्पर्य ही है जनता के हित में संचालित शासन जो कि निरंकुश शासन में संभव नहीं है। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए की लोक के प्रति सरकार सदैव जवाबदेह हो। ऐसा तभी हो सकता है जब देशवासियों को शासन के कार्यों का परीक्षण कर उसे बनाए रहने, उसे हटाने और उसके स्थान पर किसी अन्य को सरकार के संचालन की जिम्मेदारी दे सके। दूसरे शब्दों में लोकतन्त्र के सन्दर्भ में एक और सवाल भी महत्वपूर्ण है कि उक्त सभी आवश्यक दशाएं हों और यह तय न हो कि चुनाव के उपरान्त ये प्रतिनिधि शासन का संचालन कब तक करेंगे तो पुनः लोकतन्त्र पर प्रश्नचिन्ह लगेगा। क्योंकि सत्ता प्राप्ति के उपरान्त स्वाभाविक रूप से सत्ता से अलग कौन होना चाहेगा। फिर लोकतन्त्र की आत्मा है स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र निर्णय लेने की जनमानस की क्षमता। इस क्षमता में कई विकल्पों में से किसी एक को चुनने के साथ, एक निश्चित समय पर प्रतिनिधियों के कार्यो के आधार पर पुनः यह निर्णय करने का अवसर भी शामिल है कि इसके आगे वर्तमान प्रतिनिधि बने रहेंगे या नहीं तथा इसके बाद कौन से प्रतिनिधि आगे इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे।

इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक अन्य पक्ष लोकतन्त्र के अनिवार्य अंग के रूप में शामिल हो जाता है। वह है नियतकालिक चुनाव अर्थात एक निश्चित समय के उपरान्त पुनः चुनाव आवश्यक है ताकि उनके कार्यो के आधार पर उन्हें बनाए रखा जाए या फिर उनके स्थान पर किसी अन्य का चुनाव किया जाए।

इसी उद्देश्य की पूर्ती के लिए नियतकालिक चुनाव का प्रावधान होना चाहिए इसी लिए भारत में भी प्रत्येक 5 वर्ष के उपरान्त पुनः चुनाव के द्वारा जनता सरकार का परीक्षण करती है और अपना निर्णय सुनाती है कि जो सरकार चल रही है, चलेगी या उसके उसके स्थान पर किसी और को जिम्मेदारी दी जाती है। यह कार्य जनता केंद्र और राज्य दोनों स्तर के सरकारों के सन्दर्भ में करती है। जैसे एक समय देश की राजनीति में केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस को जनता समर्थन रहा है जबकि वर्तमान समय में 2014 में केंद्र के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी जिसे 2019 में भी जनता ने अपना समर्थन प्रदान किया है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी कर रहे है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही जहां जनता ने दोबारा मौक़ा नहीं दिया जबकि 2017 और 2022 में यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अर्थात जनता ने इन्हें दोबारा अवसर प्रदान किया है ।

हिमाचल प्रदेश में इसी प्रकार से देखते है वर्तमान में कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदेश सरकार है जबकि इसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। राजस्थान में वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार का संचालन किया जा रहा है जबकि इसके पूर्व कांग्रेस के द्वारा सरकार का संचालन किया जा रहा था। इस प्रकार स्पष्ट है की प्रतियोगी राजनीतिक दलों की उपस्थिति में जनता के द्वारा नियतकालिक निष्पक्ष चुनाव के द्वारा जनता सरकार के कार्यो का अवलोकन कर अपने निर्णय को बदल भी रही है जैसा कि हिमाचल और राजस्थान में किया जबकि केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार को पुनः सरकार के संचालन का अवसर प्रदान किया है ।

इसके अगले चरण में एक सवाल यह है की यदि उक्त परिस्थितियाँ हों और स्वस्थ और निष्पक्ष निर्वाचन की व्यवस्था न हो तो क्या लोकतंत्र होगा? निश्चित रूप से वह लोकतंत्र नहीं होगा। क्योंकि यदि धनबल और बाहुबल के माध्यम से चुनाव की प्रणाली को अपने अनुकूल करने का अवसर हो तो जनसामान्य अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकेगा और अपने पसंद के पक्ष में मतदान नहीं कर पायेगा। इसी समस्या के निराकरण और लोकतंत्र को जीवंत और गतिशील बनाए रखने के लिए भारत के संविधान के द्वारा एक स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जो देश में निर्वाचन को संपन्न कराने के लिए अधिकृत है। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता पूर्वक आयोग कार्य कर सके उसके लिए तो प्रावधान किये गए हैं साथ ही चुनाव कराने के दौरान असीमित प्रशासनिक अधिकार प्रदान किया गया है जिसमें यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है की चुनाव अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात सम्पूर्ण प्रशासन पर निर्वाचन आयोग का नियन्त्रण होता है और उसका प्रयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं।

इस सन्दर्भ में एक विषय उल्लेखनीय है कि देश में कई बार निर्वाचन आयोग पर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल खड़े किये जाते हैं विशेष रूप से विपक्षी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन वही विपक्षी राजनीतिक दल जब और जहां उसी ईवीएम से चुनाव जीत जाते हैं तो उस पर फिर शांत हो जाते हैं इसलिए यह विषय एक राजनीतिक स्टंट ही दिखाई देता है ।

उक्त सभी स्थितियों के होने के बावजूद भी यह संभव है कि निर्णय प्रक्रिया में बहुमत अपनी मनमानी करे, और अल्पमत के हित की उपेक्षा करें। इसलिए यह भी आवश्यक है कि निर्णय बहुमत से विचार–विमर्श और अनुनय के आधार पर लिये जाएं, लेकिन अल्पमत के हित की भी गारंटी हो क्योंकि बहुमत शासन संचालन की पद्धति नहीं है। कम से कम लोकतन्त्र में तो नही। वरन बहुमत, शासन का रूप न होकर निर्णय करने की पद्धति है।

इन सभी की उपस्थिति में भी एक अन्य महत्वपूर्ण सवाल है। क्या, किसी देश में असमानता बहुत हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, जिसके फलस्वरूप भुखमरी और बीमारी हो तो, लोकतन्त्र मजबूत होगा। आगे बढ़ सकेगा। उत्तर नहीं है क्योंकि लोकतन्त्र में जैसा कि हम ऊपर स्पष्ट कर चुके हैं कि स्वतन्त्रता परम मूल्य है। इसमें यह शामिल है कि कौन हमारा प्रतिनिधि होगा। इसका निर्णय करने का अधिकार देश के सर्वसाधारण को हो। लेकिन यदि उक्त समस्याएं होगी तो क्या होगा? जैसा कि हम देखते हैं, चुनावों के दौर में करोड़ों रूपये कालेधन का पकड़े जाना, ट्रकों से भरी शराब का पकड़ा जाना। निर्णय की स्वतन्त्रता के अधिकार को बाधित करता है। इसका परीक्षण थोड़ा और सूक्ष्म स्तर पर जब हम करते हैं। जैसे भारत में तो पाते हैं कि गांव में या शहर में कमजोर व्यक्ति या समुदाय अपनी विभिन्न जरूरतों (जैसे बीमारी, भूख, विवाह, मृत्युभोज) की पूर्ति हेतु सम्पन्न लोगों से आर्थिक मदद लेते हैं और मतदान के समय ये उनके निर्णयों से प्रभावित भी होते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार उक्त अन्य महत्वपूर्ण दशाओं की उपस्थिति के साथ स्वस्थ लोकतन्त्र के परिचालन के लिए यह भी आवश्यक है कि सर्वसाधारण को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति पर निर्भर न रहना पड़े। वे अपनी उक्त बुनियादी जरूरतों को स्वयं पूरा कर सके। यदि इस हद की सामर्थ्य तक पहुँचानें में समय लगने की संभावना है तो आवश्यकता इस बात की है कि उक्त जरूरतों की पूर्ति के लिए शासन के द्वारा स्वयं प्रयास करना चाहिए। ताकि वे एक तरफ अपने व्यक्तित्व का स्वतन्त्र विकास करने हेतु स्वतन्त्र निर्णय ले सकें, तो दूसरी तरफ शासन में प्रतिनिधि कौन होंगे इस संबंध में भी स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय ले सकें।

इस सन्दर्भ में जब हम भारत को देखते है तो पाते है कि इस समस्या से भारत लम्बे समय से जूझ रहा है। इसके निराकरण के लिए भोजन के लिए जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, तो शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर एम्स तक की स्थापना की गई है। यद्यपि अभी भी इनकी गुणवत्ता और इनकी जनसामान्य तक पहुंच पर सवालिया निशान है। जिस पर अभी बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे आज प्राथमिक शिक्षा का दलितिकरण होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां प्रयुक्त शब्द दलितिकरण से आशय किसी जाति से न होकर उस विशेष आर्थिक समूह से है, जो अपने बच्चे को घर पर ठीक से भोजन कराने की स्थिति में नही है और एक सामान्य नर्सरी स्कूल की फीस देने में भी अपने को अक्षम पा रहे है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत में वास्तविक लोकतन्त्र है। ऐसा माना जाए लेकिन जब हम भारत में लोकतन्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो इसको प्रघटना के रूप में न लेकर हमें एक प्रक्रिया के रूप में लेना चाहिए। आजादी के बाद के दौर में जनमानस के स्वतन्त्र निर्णय लेने की क्षमता आज के सापेक्ष सीमित थी। क्योंकि उस समय भूख की समस्या और अधिक थी। यहां पूर्वांचल के एक गांव लमहीपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण केन्द्र पर धनीराम को यह कहते हुए सुनना की गोबर से छानकर दाने से भोजन किये जाने वाला दिन देखा है ऐसे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से देशवासियों को खाद्य सुरक्षा देना निश्चित रूप से उन्हें गरिमामय जीवन देने के अवसर उपलब्ध कराना ही है। यह उदाहरण भारतीय लोकतन्त्र की दशा और दिशा को समझने में बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहा है। एक सम्पन्न तबके के व्यक्ति ने धनीराम से कहा कि समय बहुत खराब आ गया धनी। धनीराम का उत्तर था बाबू आप के लिए आया होगा हमारे लिए तो ठीक हो रहा है। एक समय था जब हम बैल के गोबर से दाने छानकर खाया करते थे। आज सरकार हमें महीने भर का खाना दे रही है, जिसे हम दो दिन मजदूरी कर, खरीद लेते हैं। यह बयान कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है– सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी। क्या पहले अनु0जाति का कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता था किसी सवर्ण के समक्ष? क्या पहले जैसी आर्थिक क्षमता होने पर ऐसा हो पाता। जब ऐसा हुआ तो यह वही दौर है जब यह समुदाय, मताधिकार के प्रयोग में स्वतन्त्र होता दिखाई दे रहा है। इसमें सामाजिक रुप से अस्पृश्य रहा यह व्यक्ति ऐसा कह रहा है, उसकी यह क्षमता उसके खाद्यान्न खरीदने की सामर्थ्य से आई। फलस्वरुप मतदान में वह स्वतन्त्र निर्णय लेता हुआ दिखाई दे रहा है।

इसी प्रकार से जैसा की ऊपर उल्लेख किया जा चुका है स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आयुष्मान योजना जो पचास करोड़ से अधिक लोगों को आच्छादित कर रही है। 86वे संवैधानिक संशोधन[8] के संविधान में 21 क जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार से शिक्षा की गारंटी जैसे प्रावधान, किसान सम्मान निधि आदि योजनायें देश वासियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए गरिमामय जीवन जीने का अवसर प्रदान कर रही है। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के कार्यो को आगे बढ़ाकर ही प्रकार्यात्मक लोकतंत्र को मजबूत कर सकते

है। यहाँ प्रकार्यात्मक लोकतंत्र का तात्पर्य है सरकार अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों के द्वारा देश के जनसामान्य को लाभ वितरण से सिंचित करना सुनिश्चित करे। उक्त योजनाओं के माध्यम से ऐसा करते हुए सरकार दिखाई भी दे रही है जिसमें उक्त योजनाओं के साथ ही हर घर नल योजना जो सभी को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए स्वस्थ जीवन का अवसर प्रदान करती है, साथ ही विशेषरूप से उल्लेखनीय है कि सरकार जो कार्य कर रही है उन कार्यों के आधार पर जनसमर्थन भी मांग रही है जो देश की लोकतांत्रिक राजनीति को आउटकम पोलिटिक्स की राह पर ले जा रहा है जो देश की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए शुभता के लक्षण हैं। आउटकम पोलिटिक्स का तात्पर्य है राजनीति में सत्ता प्राप्ति के लिए जनसमर्थन अपने कार्यों के आधार पर न की जाति, सम्प्रदाय, भाषा, क्षेत्र के आधार पर साथ ही नीतियों और कार्यक्रमों के निर्धारण का आधार जनता की आवश्यकताए हो, न कि भावनात्मक आधार।

निष्कर्ष

उक्त अध्ययन के उपरान्त यह स्पष्ट है कि किसी भी शासन को लोकतन्त्र कहने के लिए दो शर्तें अनिवार्य रूप से पूरी करनी आवश्यक हैं। प्रथम है संचरनात्मक और द्वितीय है प्रकार्यात्मक। संरचनात्मक स्तर पर लोकतन्त्र का तात्पर्य है कि शासन के गठन की प्रक्रिया और शासन के संगठन में लोकतन्त्र हो। गठन की प्रक्रिया में लोकतन्त्र होने का अर्थ है कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार (स्वतन्त्र निर्णय लेने की सामर्थ्य सहित) के द्वारा प्रतियोगी राजनीतिक दलों की उपस्थिति में नियतकालिक रूप से स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन। शासन के संगठन में लोकतन्त्र का अर्थ है शासन में सभी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र तथा लिंग आदि हितों की समान रूप से लोकतान्त्रिक मूल्यों के अनुरूप भागीदारी का अवसर हो, और वह सामर्थ्य भी हो।

प्रकार्यात्मक स्तर पर लोकतन्त्र का तात्पर्य है कि शासन के संचालन के तरीके और प्रभाव लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हों। अर्थात संसाधनों के वितरण और प्रयोग में भी लोक भावना को समान रूप से महत्त्व और प्राथमिकता मिले। अर्थात लाभों का वितरण जाति, सम्प्रदाय, वर्ग, भाषा, क्षेत्र और लिंग आधारित न होकर न्यायसंगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्षमता पैदा करने वाला हो। इस कसौटियों पर देखने पर स्पष्ट है कि अभी भारत में संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक दोनों स्तरों पर भारत में लोकतन्त्र को मजबूत आयाम को छू रहा है उसका कारण देश की राजनीति जाति, सम्प्रदाय, क्षेत्र, भाषा के प्रभाव को सीमित करते हुए आउटकम पोलिटिक्स (परिणाम उन्मुख राजनीति) की ओर गतिमान है।

संदर्भ

1. https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s380537a945c7aaa788ccfcdf1b99b5d8f/uploads/2023/05/2023050186.pdf Constitution of India page 187.
2. https://www.eci.gov.in/eci-backend/public/api/download?url=LMAhAK6sOPBp%2FNFF0iRfXbEB1EVSLT41NNLRjYNJJP1KivrUxbfqkDatmHy12e%2FzBiU51zPFZI5qMtjV1qgjFva%2BcZe4H5hLgRzEPbXgT4%2BLdDuMCbYQSF1jiuqiCO2KgKdCmUSHqA1uyd%2BQgGswdQ%3D%3D.
3. https://www.eci.gov.in/eci-backend/public/api/download?url=LMAhAK6sOPBp%2FNFF0iRfXbEB1EVSLT41NNLRjYNJJP1 KivrUxbfqkDatmHy12e%2FzBiU51zPFZI5qMtjV1qgjFva%2BcZe4H5hLgRzEPbXgT4%2BEJecVc93B3LTxyyJga%2BpSgKdCmUSHqA1uyd%2BQgGswdQ%3D%3D.
4. https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s380537a945c7aaa788ccfcdf1b99b5d8f/uploads/2023/05/2023050186. pdf Constitution of India page 187.
5. https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s380537a945c7aaa788ccfcdf1b99b5d8f/uploads/2023/05/2023050186. pdf Constitution of India page 187.
6. https://pmjdy.gov.in/ home page .
7. https://abdm.gov.in/ home page.
8. https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s380537a945c7aaa788ccfcdf1b99b5d8f/uploads/2023/05/2023050186.pdf Constitution of India page 11.